समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

सरकार के विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-56/आ0प्र0, दिनांक-15.01.2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0102-जागरूकता तथा क्षमता निर्माण विपत्र कोड-पी-224580800102 मांग संख्या-39, राज्य योजना स्कीम कोड-DIS-5332 विषय शीर्ष-26 01 विज्ञापन और प्रकाशन में मो0-15,000/-(पन्द्रह हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह आवंटन निम्नांकित शर्तो के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय/पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
01	जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, मधेपुरा	70,000.00	2,000.00	72,000.00
02	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	10,000.00	1,000.00	11,000.00
03	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	10,000.00	1,000.00	11,000.00
04	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	10,000.00	1,000.00	11,000.00
05	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	10,000.00	1,000.00	11,000.00
06	अंचल अधिकारी, घैलाढ़	10,000.00	1,000.00	11,000.00
07	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	10,000.00	1,000.00	11,000.00
08	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	10,000.00	1,000.00	11,000.00
09	अंचल अधिकारी, आलमनगर	10,000.00	1,000.00	11,000.00
10	अंचल अधिकारी, चौसा	10,000.00	1,000.00	11,000.00
11	अंचल अधिकारी, पुरैनी	10,000.00	1,000.00	11,000.00
12	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	10,000.00	1,000.00	11,000.00
13	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	10,000.00	1,000.00	11,000.00
14	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	10,000.00	1,000.00	11,000.00
	कुल योग-	**2,00,000.00**	**15,000.00**	**2,15,000.00**

(मो0-पन्द्रह हजार रूपये मात्र)

उपावंटन की शर्ते :-

(1) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0102-जागरूकता तथा क्षमता निर्माण विपत्र कोड-पी- 224580800102 मांग संख्या-39, राज्य योजना स्कीम कोड-DIS-5332 विषय शीर्ष-26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में उपावंटित राशि से विकलनीय होगा।

(2) यह आवंटन विभागीय संकल्प सं0-125 दिनांक-13.01.2012 के आलोक में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह हेतु निर्गत किया जा रहा है। विभागीय पत्रांक-19 दिनांक-05.06.2015 द्वारा बाढ़ सुरक्षा सप्ताह हेतु आवंटित अवशेष राशि का भी उपयोग इस मद में किया जा सकता है।

(3) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

(4) उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(5) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष - लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रुप से की जाए। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(6) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(7) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15-03-2016 तक निश्चित रुप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-59/आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक-22.01.16

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/ आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा